न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती हरफूल सिंह यादव, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 202/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/202

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. छोगाराम पुत्र गेमाजी, जाति सुथार उम्र 60 वर्ष, निवासी पुनासा, तहसील भीनमाल, जिला जालोर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर निर्णय दिनांक 23.05.2018 एवं तहसीलदार भीनमाल के आदेश दिनांक 08.12.2017

उपस्थिति :–

1. श्री मदन दास वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः– 30/9/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के आदेश निर्णय दिनांक 23.05.2018 एवं तहसीलदार भीनमाल के आदेश दिनांक 08.12.2017 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस अपीलाण्ट की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के द्वौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि अपीलांट छोगा के विरूद्ध सरहद मौजा पुनासा में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नं. 949 व 950 किश्म भूमि गैर मुमकिन ढाणी एवं चाही सोयम रकबा क्रमशः 0.02 हैक्टर एवं 2.07 हेक्टर पर अतिक्रमण संवत् 2074 में करने बाबत् पटवारी हल्का रिर्पोट रेस्पोडेंट के समक्ष पेश की जहां पर रेस्पोडेंट ने उपस्थित होकर अपना जवाब व दस्तावेज पेश किये परंतु रेस्पोडेंट द्वारा बिना किसी प्रकार के दस्तावेजों का अवलोकन किये अपीलांट को बेदखल करने का आदेश दिनांक 8/12/17 को

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

जारी किया गया। जिसके विरूद्व अपीलांट ने जिला कलेक्टर महोदय जालोर के न्यायालय में अपील की जो अपीलाधीन आदेश के जरिये खारीज किया गया।

यह है की संवत् 2009 में उक्त आराजी के पूर्व खसरा नं. 1643 रकबा 26 बिघा 13 बिस्वा था एवम् प्रथम सेटलमेंट के समय भी उपरोक्त आराजी काबील काश्त थी परंतु राजस्व कर्मचारियों ने गुटवश इसे ओरण दर्ज कर दिया परंतु रिसेटलमेंट के समय उक्त आराजी के खसरा नं. 949 व 950 रकबा क्रमशः 0.02 हैक्टर गैर मुमकिन ढाणी एवं रकबा 2.07 हैक्टर किस्म भूमि चाही सोयम दर्ज कर दी गई। उक्त आराजी में अपीलांट का परिवार सहित निवास है जो उसके पूर्वजो के जीवनकाल से चला आ रहा है। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा समय–समय पर प्रमाण पत्र जारी किये गये है जिसकी फोटो प्रति अपील के साथ सलंग्न है।

यह है की वादग्रस्त आराजी पूर्व खसरा नं. 1643 पर अपीलांट के पिता गेमाजी के समय से कब्जा काश्त था तथा राजस्व रैकर्ड में नाम दर्ज न होने के कारण रेस्पोडेंट व उनके अधिनस्थ अधिकारीयों द्वारा बेदखल करने की धमकी दी जाती थी इस कारण वर्ष 1997 में अपीलांट उसके भाई हिम्मता व लालु ने संयुक्त रूप से खातेदारी चक की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतू वाद पेश किया जो राजस्व वाद सं. 103/97 दर्ज कर दिनांक 29/12/06 को इस निर्देश के साथ फैसला किया की 3 माह के भीतर आवंटन एवं नियमन की बैठक आहुत करते हुए प्रकरण का निस्तारण करे परंतु उसके पश्चात् सहायक कलेक्टर भीनमाल की पालना में नियमन एवं आवंटन कमेटी की बैठक बुलाकर विधिवत् तौर पर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया जिससे दोनो ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने योग्य है। दोनो ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29/12/06 को नहीं मानने का कोई स्पष्ट कारण नही दिया है जिससे अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

यह है की पूर्व में भी नायब तहसीलदार भीनमाल द्वारा इसी आराजी के संबंध में नियमन की सिफारीश की गई थी। स्वयं सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार भीनमाल द्वारा सहायक कलेक्टर के समक्ष राजस्व प्रार्थन पत्र संख्या 103/1997 में प्रस्तुत जवाब में अपीलान्ट का कब्जा 8 बिघा 4 बिस्वा भूमि पर होना स्वीकार किया। अपीलान्ट का रहवास खसरा नम्बर 949 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मुमकीन ढाणी पर है इसके अलावा अन्य कोई आवास हेतू सुविधा अपीलान्ट के पास उपलब्ध नही है।

यह है कि दोनो ही अधिनस्थ न्यायालयो ने रैकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का कोई विवेचन अपने निर्णयो में नही किया है रेस्पोडेन्ट सहायक कलेक्टर द्वारा पारित डिक्री पालना करने के लिये पाबन्द है। जहाँ तक आवंटन एक नियमन कमेटी प्रकरण की जाँच कर अपीलान्ट को आवंटन अथवा नियमन का पात्र होने अथवा नही होने के संबंध में अपना कोई निर्णय पारित नही करती है तब तक अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाना किसी भी सुरत में न्याय संगत है न ही उचित है तथा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। दोनो ही अधिनस्थ न्यायालयो ने सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की पालना न कर नियमन कमेटी की बैठक हेतू निर्देशित न कर अपीलाधीन आदेश गलत तौर पर पारित किये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। स्वंय तहसीलदार भूमि अधिकारी द्वारा

अतिरि

20/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

दिनांक 09/01/2018 को अपीलान्ट के भूमिहीन होने प्रमाण पत्र जारी किया गया है अपीलान्ट द्वारा नये सिरे से कोई अतिक्रमण नहीं किया गया बल्कि पूर्वजो के समय काबिज आराजी पर काबिज है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

5. हमने अपीलांट पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया एवं बाद अवलोकन पाया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध में **"न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 103/1997 अनवान छोगा वगैरह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.12.2006 में निर्णय पारित किया गया कि खसरा नंबर 950,949 सरहद मौजा पूनासा खारिज किया जाता है एवं प्रकरण में यह निर्देश प्रदान किए जाते है कि 3 माह के अन्दर आवटंन/नियमन समिति की बैठक आहुत की जाकर प्रकरण का विधि पूर्वक निस्तारण करने के आदेश पारित किये गये।"**

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर ने अपीलाधीन आदेश में उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा वाद संख्या 103/1997 में दिनांक 29.12.2006 को दिये गये निर्देश के संबंध में कोई टिप्पणी या विवेचन नही किया गया। न ही तहसीलदार, भीनमाल ने अपने प्रकरण संख्या 52/2017 में विवेचन किया गया है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट्स की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार भीनमाल को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के प्रकरण संख्या 103/1997 निर्णय दिनांक 29/12/06 में की गई टिप्पणी के अवलोकन के अनुसार हस्तगत प्रकरण का पुनः परिक्षण किया जावे एवं साथ ही हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के प्रकरण संख्या 103/97 के अनुसार भू–आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय तक अधीनस्थ न्यायालयो यथा तहसीलदार भीनमाल के प्रकरण संख्या 52/2017 निर्णय दिनांक 08.12.2017 तथा न्यायालय जिला कलक्टर जालोर के प्रकरण संख्या 6/2018 निर्णय दिनांक 23.05.2018 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयो का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

7. यह निर्णय आज दिनांक 30/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)